



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08092026-276057
CG-DL-E-08092026-276057

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 717]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2026/भाद्र 17, 1948

No. 717]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2026/BHADRA 17, 1948

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2026

सा.का.नि. 785(अ).— केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का निर्माण (संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सिक्के का मूल्यवर्ग.— संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी वर्ष के अवसर को स्मरणीय बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी किये जाने के लिए एक साल में एक सौ रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का ढाला जाएगा।

3. सिक्के की विमाएं और संरचना.— नियम 2 में विनिर्दिष्ट मूल्य वर्ग के सिक्का, निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होगा, अर्थात्:-

सिक्के का मूल्य वर्ग	आकृति और बाह्य व्यास	दांतेदार किनारे की संख्या	धातु संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	शुद्ध चांदी चांदी – 99.9 प्रतिशत

4. डिज़ाइन.— सिक्के का डिज़ाइन वह होगा, जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

5. मानक वजन और अनुज्ञात उपचार.— संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी वर्ष के अवसर को स्मरणीय बनाने के लिए नियम 2 में निर्दिष्ट मूल्य वर्ग के सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्के को बनाने में अनुज्ञात उपचार वह होगा, जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

पहली अनुसूची
[नियम 4 देखें]

एक सौ रुपये

अग्र भाग:

सिक्के के इस भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह स्तम्भ शीर्ष होगा, जिसके नीचे “सत्यमेव जयते” लेख उत्कीर्णित होगा, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में “भारत” शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में “INDIA” शब्द होगा। सिंह स्तम्भ शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक “₹” और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य “100” भी होगा।

पृष्ठ भाग:

सिक्के के इस भाग में सिक्के के मध्य में संघ लोक सेवा आयोग के भवन का चित्र होगा। सिक्के की ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में “संघ लोक सेवा आयोग” लेख उत्कीर्णित होगा। सिक्के की निचली परिधि पर अंग्रेजी में “UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION” लेख उत्कीर्णित होगा। चित्र के नीचे अंतर्राष्ट्रीय अंको में वर्ष “1926 - 2026” और देवनागरी लिपि में “शताब्दी वर्ष” लेख उत्कीर्णित होगा।

दूसरी अनुसूची
[नियम 5 देखें]

सिक्के का मूल्यवर्ग	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		धातु संरचना में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ रुपये	40 ग्राम	प्रति 1000 में 999 भाग चांदी। चांदी के अंश की सहनशीलता 999 और उसके ऊपर होगी।	1/8000वें हिस्से की वृद्धि या कमी, अर्थात् वजन 39.995 ग्राम से 40.005 ग्राम तक हो सकता है।

[फा. सं. 02/26/2025 – सिक्का]

अमित सिंगला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department Of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2026

G.S.R. 785(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011(11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Coinage (Issue of commemorative coin on the occasion of Centenary Year of the Union Public Service Commission) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Denomination of coin.— The coin of One Hundred Rupees denomination shall be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government to commemorate the occasion of Centenary Year of the Union Public Service Commission.

3. Dimension and composition of coin.— The denomination of the coin specified in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely:-

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Rupees	Circular 44 millimeters	200	Pure Silver Silver – 99.9 per cent.

4. Design.— The design of the coin shall be as specified in the First Schedule annexed to these rules.

5. Standard weight and remedy allowed.— The standard weight of the coin of denomination referred to in rule 2 to commemorate the occasion of Centenary Year of the Union Public Service Commission and the remedy allowed in making of such coin shall be as specified in the Second Schedule annexed to these rules.

FIRST SCHEDULE

[See rule 4]

ONE HUNDRED RUPEES

OBVERSE:

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Devanagari script and on the right periphery with the word “INDIA” in English. It shall also bear the Rupee symbol “₹” and denominational value “100” in the international numerals below the Lion Capitol.

REVERSE:

This face of the coin shall bear the image of the building of the Union Public Service Commission at the centre of the coin. On the upper periphery of the coin, the inscription “संघ लोक सेवा आयोग” shall be inscribed in Devanagari script. On the lower periphery of the coin, the inscription “UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION” shall be inscribed in English. The year “1926-2026” in international numerals and “शताब्दी वर्ष” in Devanagari script shall be inscribed below the image.

SECOND SCHEDULE

[See rule 5]

Denomination of the coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Rupees	40 Grams	999 parts of silver per 1000. The tolerance for Silver content shall be 999 and above.	1/8000th plus or minus that is to say, the weight could be 39.995 grams to 40.005 grams.

[F. No. 02/26/2025-Coin]

AMIT SINGLA, Jt. Secy.